IV 03/2020

कोषागार चन्दौली
27 FEB 2020
वरिष्ठ कोषाधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NO[N JUDICI]AL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH FD 815372

350/-

न्यास विलेख पत्र (Insrument of Trust)

संस्था का नाम– मानवाधिकार सेन्ट्रल वाच एसोसिएशन (CWA)

संस्था का पता– ग्राम राममाड़ो पोस्ट भटरौल तह0 चकिया जनपद चन्दौली

संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष

यह न्यास विलेख आज दिनांक 07.03.2020 को श्री योगेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री कल्पनाथ सिंह निवासी ग्राम राममाड़ो, पोस्ट भटरौल, तहसील चकिया, पट्टी मझिली परगना केरामंगरौर, जनपद चन्दौली द्वारा घोषित किया गया है जिन्हे आगे न्यासकर्ता संस्थापक कहा जाएगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रू0 5000/– (पांच हजार रू0 मात्र) की राशि है) जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि पर अप्रति संहरणीय न्यास बनने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुये मानवाधिकार क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रो जैसे प्राविधक, उच्च्य चिकित्सा व्यवसायिक, योग ब्यूटीशियन आदि क्षेत्र मे विशेष रूप से कार्य करेगा। जिसको आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होना जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ती/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न क्षेत्रो मे दान, उपहार, ऋण आदि भी सम्मिलित है। जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक

योगेन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417286

अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/– (पांच हजार रू0 मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान मे यह ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम राममाड़ो पोस्ट भटरौल तहसील चकिया जनपद चन्दौली उ0प्र0 में रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय – समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योकि न्यासकर्ता /ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाताहै।

मानवाधिकार सेन्ट्रल वाच एसोसिएशन (CWA) इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1982 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट

उद्देश्यों एवं नियमावली :–

ट्रस्ट के उद्देश्य – ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा–

1. मानव कल्याणार्थ समाज में जागृति लाने का प्रयास करना।
2. समाज को मनावाधिकारों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना एवं भारतीय संविधान में वर्णित मानवाधिकारों का ज्ञान कराना।
3. भारत सरकार द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का जन–जन तक प्रचार–प्रसार करना जिससे आम आदमी उसका लाभ प्राप्त कर सकें।
4. समस्त जीव–जन्तुओं की सुरक्षा संरक्षण, संवर्धन हेतु सरकार के साथ मिलकर कार्य करना।
5. मानवाधिकार एवं मानव कल्याण साहित्य का लेखन, मुद्रण एवं प्रचार–प्रसार करना/तत्सम्बन्धी पुस्तकालयों, वाचनालयों की स्थापना कराने के प्रयास करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417307

6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं विदेशों में गठित मानवाधिकार आयोगों के सम्पर्क में रहकर उनकी सेवायें आम आदमी को मुहैया कराने के प्रयत्न कराना।
7. समाज के विभिन्न वर्गो के उत्पीड़न के निराकरण हेतु शासन /प्रशासन /राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोग/ राष्ट्रीय महिला आयोग/राज्य महिला आयोग/मानवाधिकार न्यायालयों एवं अन्य स्तरों पर उन्हें समुचित न्याय दिलाने सम्बन्धी प्रयास करना।
8. समाज में भाईचारा, सौहार्दता, सद्भावना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के प्रसास करना। समय-समय पर विचार गोष्ठियों, सम्मेलन सांस्कृतिक तथा मिडिया कार्यक्रम आयोजित कराकर मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करना।
9. मानवाधिकारों के हनन करने वाली ताकतों के विरूद्ध सतत् विरोध करना एवं मानवाधिकार हनन् की घटनाओं को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली (NHRC) को अवगत कराना।
10. शासन द्वारा निर्धारित व पोषित कार्यक्रमों के अन्तर्गत मानव जागृति एवं उत्थान हेतु शिक्षण संस्थाओं, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, मानवाधिकार संस्थाओं /मानवाधिकार एकेडमी, ब्यूटीशियन कल्चर एच.आर. संस्थाओं के मोनोग्राम के स्वरूप का निर्धारण करना, कार्यालय के बोर्ड बैनर वैजेज पट्टीकाएं, परिचय पत्र, झंडा इत्यादि मानवाधिकार संस्था के कलर, नीला, लाल का निर्धारण करना एवं क्रियान्वयन करना। संस्था ध्वज दो रंग का होगा उपर का आधा भाग नीला, नीचे का आधा भाग लाल रंग का होगा। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई एवं प्रोफेशनल ब्यूटीकोर्स एवं ड्रेस डिजाईनिंग, टाईपिंग, पेंटिग

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417308

विद्यालय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरवर्ती शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं संचालन करना।

11. संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश मंडल, जिला, तहसील, वि0 खण्ड, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत आदि स्तरों पर समितियों का गठन किया जायेगा इसका स्वरूप आवश्यकता/उपयोगितानुसार निश्चित किया जायेगा जिसके गठन सम्बन्धित विस्तृत निर्देश चेयरमैन/ राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।
12. वो सभी कार्य करना जो मानव हित, समाज हित एवं राष्ट्र हित में हो।
13. भारत सरकार द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का जन–जन तक प्रचार–प्रसार करने के लिए मानवाधिकार डिफेण्डर/मानवाधिकार कार्यकर्ता को नियुक्त करना एवं परिचय पत्र प्रदान करना।
14. जनहित एवं संस्थाहित के लिए पैड का इस्तेमाल करना।
15. संस्था का स्वयं का मोनोग्राम होगा जिसमें संस्था का नाम अंकित होगा। मोनोग्राम नीले और लाल रंग का होगा।
16. बिना लिंगभेद किए किसी जाति, धर्म, लिंग एवं निवास तथा सम्प्रदाय के भेद–भाव के सम्पूर्ण विकलांग लोगो के शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुर्नवास का समग्र कार्यक्रम संचालित करना।
17. बन्धुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये पददलित एवं उपेक्षित विकलांग एवं सामान्य बालक–बालिकाओं की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417309

18. विकलांग एवं सामान्य लोगों एवं पशुओं और अन्य जीवों की सुरक्षा एवं सम्बर्धन हेतु सम्बन्धित शासकीय विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों से सहयोग प्राप्त करना तथा कार्यक्रम संचालित करना।
19. पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्वयं सेवी एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिल जुल कर प्रयास करना।
20. खाद्यान्नों के उत्पादन में रासायनिक खाद्यों के प्रयोग को कम करना एवं जैविक खादों के उपयोग को बढ़ाना
21. ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि तथा अन्य तकनीकी विषयों की निः शुल्क शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विशेष रूप से आयोजन क्रियान्वयन तथा शोध कार्य करना।
22. स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार के साथ मिलकर कार्य करना एवं प्रचार प्रसार करना।
23. जन स्वास्थ्य चिकित्सा, टीकाकरण, परिवार नियोजन एवं विभिन्न बीमारियों जैसे एड्स, मलेरिया, कुष्ठ रोग, तपेदिक, कैंसर, मोतियाबिन्द, पालियों एवं अन्य संक्रामक बीमारियों के रोकथाम, निदान एवं उन्मूलन के लिए कार्य करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार सामुदायिक केन्द्र, परामर्श केन्द्र, औषधालय एवं प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र का संचालन करना।
24. मलिन बस्ती सुधार, स्वच्छता एवं सफाई स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
25. ऊसर भूमि सुधार एवं कृषि सम्बन्धी विभिन्न क्रियाविधियों का संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417310

26. पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण वृक्षारोपण एवं ऊर्जा कें विभिन्न पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक साधनों के दोहन एवं विकास हेतु कार्य करना।
27. संशोधित पंचायती राज अधिनियम के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
28. विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्र्तराष्ट्रीय जैसे यूनेस्कों, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड अर्गनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाईजेशन आक्सफेम, ओ0डी0ए0 सिड़वी, वर्ल्ड लिटेरसी मिशन, कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, यू0एन0डी0पी0 केयर, राष्ट्रीय महिला आयोग, एन.एच.आर.सी. कोष नवार्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, के0वी0आई0सी0 महिला कल्याण निगम, नगर विकास अभिकरण, ग्रामीण विकास विभाग, नारेड उद्योग निदेशालय, मानव संसाधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विज्ञान एवएं प्रोद्योगिकी परिषद कपार्ट, हथकरघा विभाग, मत्स्य विभाग, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, पशु पालन, सुअर पालन, लघु उद्योग सेवा संस्थान, रोजगार एवं सेवा निदेशालय कृषि विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास इत्यादि के समन्वय उद्योग एवं मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यक्रमों एवं क्रियाविधियों को कार्यरूप में परिणित करने हेतु सरकार की मदद करना तथा इसके लिए इन अभिकरणों से आवश्यक सहायता एवं सामाग्री इत्यादि प्राप्त करना एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।
29. बालक बालिकाओं एवं समस्त मानव जाति के उत्थान, कल्याण एवं मानसिक शारीरिक रुप से स्वास्थ्य लाभ एवं स्वावलंबी बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योग संस्थाओं का स्थापना करना एवं संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417311

30. योग के कायक्रमों को राष्ट्रीय स्तर एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना एवं संचालित करना।
31. महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के उत्थान, कल्याण के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य करना एवं विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
32. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
33. कबाड़ा की सामानों को इकठ्ठा करके फर्नीस भठ्ठियां का निर्माण करके उनको गलाकर वातावरण को दूषित होने से बचाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना ट्रस्ट का सर्वोत्तम कार्य होगा जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोग कार्य हैं।
34. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नावार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सलाहकार, बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यो का संचालन करना।
35. आई0टी0आई0, आई0आई0टी0, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, प्रबन्धक फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग आपरेटर टेक्निशियन, फीजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजो की स्थापना एवं संचालन करना।
36. समाज के लोगो के लिए हॉस्टर, नसिंग होम, स्वास्थ केन्द्र, मेडिकल केन्द्र मेडिकल, स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग कंपनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।
37. सांस्कृतिक पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं बैठकों, विशेष, विशेष कक्षाएं, सत्य प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417312

38. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसायटी, ट्रस्ट द्वारा संचालि विद्यालयों, महाविद्यलयों मेडिकल कालेजो, इंजीनियरिंग कालेज, आई0टी0आई0 कालेजो को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
39. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
40. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार करना।
41. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिये जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
42. एड्स/संक्रमित रोगों के बारे मे जन जागरण हेतु प्रचार प्रसार करना।
43. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्ताओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।
44. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में महिलाओं एवं पुरूषों का समूह बनाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना एवं सरकार के कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाना।
45. पत्राचार द्वारा अध्ययन/अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधिक आवश्क व्यवस्थाएं कर सकना।
46. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उसर सुधार जैसे सामासजिक दायित्वों के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
47. डाक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर, सेन्ट्रिग, कारपेंटर, मेशन, बढ़ई, नाई, मोची, कूक, ड्राईवर, इलेक्ट्रशियन, फीटर, वेल्डर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेश जाने के लिए कार्य कराना, जिससे उनकों रोजगार मिल सकें एवं देश का विकास हो सके।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417313

48. कुटीर लघु उद्योगों के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगो को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें।
49. किसानो को उन्नतशील बीजों, कीटनाशक दवाओं तथा नये–नये औजारों को सस्ते दरो मे उपलब्ध कराना।
50. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना।
51. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वन कर सकना।
52. विभिन्न आयोजनाओं एवं कारणो हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तिय सहायक, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
53. ट्रस्ट जन सामान्य के हित मे कार्य करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित मे सड़क, खड़ंजा, तालाबों का निर्माण कर, मछली पालन, पशु पालन तथा मधुमक्खी पालन आदि का प्रचार–प्रसार करेगा।
54. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जन कल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा।
55. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ फालान्तर ने ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा।
56. विभिन्नसंस्थाओं/विद्यालयों / महाविद्यालयों /मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजो के विशेषाधिकार प्रदान करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना एवं संचालित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417314

2. प्रारम्भिक उपलब्ध :–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से श्री योगेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री कल्पनाथ सिंह को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष/चेयरमैन नियुक्त किया जाता हैं।
2. यदि कोई व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष/चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न किया जाये तो वरिष्ठता क्रम में उत्तराधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होगे।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष/चेयरमैन अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरादायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकता हैं।
4. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष/चेयरमैन अपने जीवन काल में ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व अपने पुत्र अवधूम उम्र 19 वर्ष पुत्र योगेन्द्र कुमार सिंह उत्तराधिकार होगे। इस पुत्र के न रहने पर योगेन्द्र कुमार सिंह के खानदान का ही ट्रस्ट के उत्तराधिकारी होंगे।

3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण:–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417315

3. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल में उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अंतिम रूप से मान्य होगी।
5. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।

बोर्ड आफ ट्रस्टीः–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयो पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकतम 05 सदस्य होगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनित करते समय उसका कार्यकाल नष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता ट्रस्टी स्वयं करेगा।
4. यह कि कोई बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही विषयो पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिसको मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AA 417316

5. यह कि कोई बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक द्वारा निर्भर करता है इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल एवं सुविधाये:–

1. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यकाल एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक/मानदेय भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।

6. कार्यक्षेत्र –

न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमे सामाजिक उत्थान हेतु भारत के किसी भी राज्य/विश्व के किसी भी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा ले सकता है।

7. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार:–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

92AD 699139

के कार्य कलापो में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो भी सम्बन्धित पक्षो को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। अध्यक्ष संस्था के अधिशासी पदाधिकारी है, अतएव संस्था के प्रयोजनों एवं सकल्पों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष को निहित है। संस्था के सम्पूण अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना। संस्था के सदस्यों/कर्मचारियों के नियन्त्रण के सन्दर्भ में गलत कार्य करने पर उन्हे चेतावनी देना, उनके विरूद्ध विभागीय जांच का आदेश देना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सेवा से पृथ करना। संस्थाके विरूद्ध यदि कोई भी सदस्य/पदाधिकारी कार्य करता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष/चेयरमैन को अधिकार होगा कि तत्काल उसकी सदस्यता समाप्त कर दे। किसी विवादित विषय पर जिस पर कोई निर्णय न हो सके, राष्ट्रीय अध्यक्ष/चेयरमैन का निर्णय अन्तिम होगा। अन्य समी अधिकारों का प्रयोग करना, जो नियमानुसार मान्य होंगे।

2. सभी पदाधिकारियों/सदस्यों का परिचय पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष/चेयरमैन के हस्ताक्षर से जारी होंगे।

8. उपाध्यक्ष की नियुक्तिः–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट एक उपाध्यक्ष एवं आवश्कता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 016774

3. यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताओं उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियो के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक /अनुशासनात्मक /प्रसंशनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षो के अधिकार एवं कर्तव्य को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9. महासचिव की नियुक्तिः–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक संयुक्त सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उक्त महासचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि महासचिव/संयुक्त सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियो के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक /अनुशासनात्मक /प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

10. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः–

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होगे।

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 016812

2. इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यो एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकता है जो कि रजिस्ट्रार के यहा रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुपस्थिति में सारे कार्यो की देख–रेख उपाध्यक्ष करेगा। कार्य क्षेत्र विस्तार के लिए अध्यक्ष और भी महासचिव और संयुक्तसचिव /संगठन सचिव/उपाध्यक्ष/अन्य पदाधिकारियों की नियुक्त कर सकता है।

11. बैंक एकाउण्टः–

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में खाता खोलकर संस्था के समस्त धनराशि को जमा किया जायेगा जिसका संचालन चेयरमैन/राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय, संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निदेर्शो के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

12. विधिक कार्यवाहीः–

यदि संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जा सकती है या उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष के अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को भी अधिकृत कर सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AA 016814

ATTESTED
Advocat
Chakia, Chandauli

साक्षीगण:–

1– हरश्चिन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व0 लालमन लाल
नि0 ग्रा0 दूदे पो0 बबुरी
जनपद चन्दौली
मो0– 9198820863

2– गुड्डु कुमार यादव पुत्र नन्दलाल
नि0 ग्रा0 पुरूषोत्तमपुर
तह0 चकिया जनपद चन्दौली
मो0– 7398430649

मसविदाकर्ता :– राजदेव सिंह एडवोकेट

टाइपकर्ता :– मनीष कुमार जायसवाल

दिनांक :– 07.03.2020

3/7/2020 6936

पुष्टि विलेख 60

[illegible] की तिथि 6/3/2020

[illegible]

[illegible] पुत्र श्री [illegible] सिंह

[illegible]

31 मार्च 202[illegible]

[illegible] उपाध्याय

आवेदन सं०: 202000994001403 चन्दौली

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 12 के पृष्ठ 163 से 196 तक क्रमांक 3 पर दिनाँक 07/03/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृज बिहारी सिंह
उप निबंधक : चकिया
चंदौली
07/03/2020

04/2020

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

350/-

CA 569166

चकिया अधिवक्ता कल्याण न्यास चकिया जनपद – चन्दौली C/2020/ 6425

शुद्धि–पत्र

योगेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री कल्पनाथ सिंह निवासी ग्राम राममाड़ो, पोस्ट भटरौल, तहसील चकिया, जनपद चन्दौली आधार सं0 6009 5524 1614 मो0नं0– 9450445150,

.... प्रथमपक्ष

योगेन्द्र कुमार सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AE 229639

विदित हो कि हम प्रथमपक्ष अपनी संस्था "मानवाधिकार सेन्ट्रल वाच एसोसिएशन (CWA)" ग्राम राममाड़ो पोस्ट भटरौल तह0 चकिया जनपद चन्दौली का पंजीकृत दस्तावेज न्यास विलेख पत्र पंजीकृत किया हूँ जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 07.03.2020 को बही नं0–4 जिल्द सं0 12 के पृष्ठ 163 से 196 तक क्रमांक 3 पर कार्यालय उपनिबन्धक चकिया मे पंजीकृत हुआ है। उपरोक्त न्यास विलेख पत्र में मानवाधिकार सेन्ट्रल वाच एसोसिएशन (CWA) इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के जगह पर भूल वश मानवाधिकार सेन्ट्रल वाच

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AE 229635

3

एसोसिएशन (CWA) इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1982 अशुद्ध अंकित हो गया है जिसकी शुद्धि हेतु हम प्रथम पक्ष तितिम्मा शुद्धिपत्र अपनी स्वतंन्त्र इच्छा से बिना किसी जोर व दबाव के समक्ष गवाहान निष्पादित कर रहा हूँ ।

अतएव जरिए इस शुद्धि पत्र के मानवाधिकार सेन्ट्रल वाच एसोसिएशन (CWA) इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 है, जो सही व दुरूस्त है जिसकी पूर्ण पाबन्दी हम प्रथमपक्ष की होगी इस तितिम्मा शुद्धि पत्र को हम पक्षगण स्वयं पढ़ व पढ़वाकर सुन व समक्ष लिया हूँ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AE 229636

अस्तु यह शुद्धि पत्र हम पक्षगण अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर व दबाव के समक्ष गवाहान अपनी इन्द्रियों की स्वस्थ दशा मे यह शुद्धि पत्र निष्पादित कर अपना हस्ताक्षर/अगूठा निशान बना दे रहा हूँ कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे अतएव अब जरिए इस शुद्धि पत्र के मानवाधिकार सेन्ट्रल वाच एसोसिएशन (CWA) इण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 पढ़ा जावे।

7.2 निष्पादन का दिनांक : 14.10.2020 स्थान : चकिया